विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः विज्ञापन सं. 09/भर्ती/फिजियोथेरापिस्ट/ TSP/EP-I/2017–18 **दिनांक : 29.03.2018**

आयोग द्वारा **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं विभाग** के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत **राजस्थान राज्य के अनुसूचित/विनिर्दिष्ट क्षेत्र** के लिए फिजियोथेरापिस्ट (Physiotherapist) के पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। **विशेष नोट :– इस विज्ञापन के तहत् राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।**
पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

No. of Post(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.			
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता
02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Horizontal Reservation :– LD/CP – 01

नवीनतम जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब–साईट http://www.rpsc.rajasthan.gov.in का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :–

(i) Secondary or its equivalent qualification recognised by Government with diploma in Physiotherapy from an Institution recognised by Government.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthan Culture.

आयु सीमा – दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। | **रनिंग पे–बैण्ड** – पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-11

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष एंव सामान्य वर्ग की महिला		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	In the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity the upper age limit shall be 45 years.
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स एवं शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जावेंगे।
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8	कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
9	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
10	रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
11	That the upper age limit mentioned above shall be relaxed up to 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation up to 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
12	An Ex-serviceman must not have attained the age of 50 years on 01.01. 2019. Provided that in the case of holders of Military Cross/Vir Chakra or any other higher distinction, the upper age limit shall be relaxable by two Years.

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) फिजियोथेरापिस्ट के पद आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 में विज्ञापित किये गये थे। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी **दिनांक 01.01.2019** को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **नोट :– साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।**
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर/जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 17–04–2018 से दिनांक 01–05–2018 रात्रि 12–00** बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. **अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan/gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा।** 2. **Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।** 3. **अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा।** 4. **अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें।**

	5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित **Transaction** का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक 02–05–2018 से दिनांक 08–05–2018** रात्रि **12–00** बजे तक।
विशेष नोट :– (1) अभ्यर्थी **Online Application Form** में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना **SMS** के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। (2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 07 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।	

विशेष सूचना :– ''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव